# मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खंड XXII अंक 02 मई 2026

एमसीआईआर

## विषय-वस्तु


| खंड | पृष्ठ |
|---|---|
| I. बैठक | 1 |
| II. विनियमन | 2-3 |
| III. एमओयू | 3 |
| IV. फिनटेक | 3 |
| V. प्रकाशन | 3-4 |
| VI. जारी आंकड़े | 4 |


## संपादक की कलम से

मई 2026 माह के दौरान, एफएसडीसी उप-समिति के तत्वावधान में प्रमुख वैश्विक और घरेलू समष्टि-आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास और रिज़र्व बैंक के कार्यनीतिक अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रमुख समष्टि-आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियों पर विचार-विमर्श करने तथा विभिन्न अंतर-विनियामकीय मामलों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एफएसडीसी-एससी उप-समिति द्वारा श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस माह में, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को ₹2,86,588.46 करोड़ के अधिशेष के अंतरण को भी मंजूरी दी और आकस्मिक जोखिम बफर को 6.5% पर बनाए रखा। उक्त घरेलू उपलब्धियों के साथ ही, ईसीबी के साथ एक नवीनीकृत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे सुदृढ़ अभिशासन, वर्धित आघात- सहनीयता और केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में गहन वैश्विक सहयोग संबंधी बैंक की प्रतिबद्धता को बल मिला।

हम सही जानकारी साझा करने और गहरी समझ बढ़ाने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर या क्यूआर कोड स्कैन करके भी देखा जा सकता है। हम mcir@rbi.org.in पर आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं।

**ब्रिज राज**
**संपादक**

# I. बैठक

## एफ़एसडीसी उप-समिति की 33वीं बैठक

दिनांक 14 मई 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी-एससी) की उप-समिति की बैठक का आयोजन किया गया। श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैठक की अध्यक्षता की। उप-समिति ने प्रमुख वैश्विक और घरेलू समष्टि-आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियों और वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उप-समिति ने विनियामक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बेहतर बनाने पर ज़ोर देते हुए, केवाईसी प्रक्रियाओं के सरलीकरण और विनियामक प्रभाव आकलन सहित विभिन्न अंतर-विनियामकीय मामलों में प्रगति की भी समीक्षा की।

एफएसडीसी-एससी ने अंतर-विनियामकीय समन्वय के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र के आघात-सहनीयता में सुधार लाने पर अपना ध्यान केंद्रित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की; तथा बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्ष सहित उभरती चुनौतियों पर कड़ी नजर रखने की बात कही।

बैठक में उप-समिति के सदस्य, श्री तुहिन कांत पाण्डे, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी); श्री अजय सेठ, अध्यक्ष, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), श्री एस रमन, अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), श्री के. राजरमन, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफ़एससीए), श्री एस. कृष्णन, सचिव, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), श्री. वी. वुअलनाम, सचिव, व्यय विभाग (डीओई), डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, सुश्री अपर्णा सिन्हा, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), श्री अंशुमान पट्टनाइक, अवर सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर - श्री स्वामीनाथन जे., डॉ. पूनम गुप्ता, श्री शिरिश चन्द्र मुर्मू, श्री रोहित जैन और डॉ. अजित रत्नाकर जोशी, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक उपस्थित थे।

## भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 623वीं बैठक

दिनांक 22 मई 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 623वीं बैठक मुंबई में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बोर्ड ने वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक परिदृश्य तथा भावी संभावना से जुड़े जोखिमों की समीक्षा की। बोर्ड ने वित्तीय-वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के वार्षिक-लेखा पर विचार-विमर्श किया। बैंक की सकल आय में पिछले वर्ष की तुलना में 26.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि जोखिम संबंधी प्रावधानों से पूर्व के व्यय में 27.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जोखिम संबंधी प्रावधानों तथा सांविधिक निधियों में अंतरण से पूर्व निवल आय वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹3,95,972.10 करोड़ रही, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह ₹3,13,455.77 करोड़ थी। 31 मार्च 2026 को बैंक का तुलन-पत्र 20.61 प्रतिशत बढ़कर ₹91,97,121.08 करोड़ हो गया।

संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ़) के अंतर्गत, आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) को तुलन-पत्र के आकार के 4.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक बनाए रखने का दायरा प्रदान किया गया है। मौजूदा समष्टि-आर्थिक कारकों, बैंक के वित्तीय निष्पादन तथा उपयुक्त जोखिम बफर के रखरखाव को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय निदेशक बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ₹1,09,379.64 करोड़ राशि सीआरबी में अंतरण करने का निर्णय लिया, जबकि पिछले वर्ष यह राशि ₹44,861.70 करोड़ थी, तथा सीआरबी को आरबीआई के तुलन-पत्र के आकार के 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय किया। केंद्रीय बोर्ड ने लेखा-वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में ₹2,86,588.46 करोड़ के अंतरण को मंजूरी दी।

उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे., डॉ. पूनम गुप्ता, श्री शिरिश चंद्र मुर्मू, श्री रोहित जैन तथा केंद्रीय निदेशक बोर्ड के अन्य निदेशक - श्री नागराजू मद्दिराला, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग; श्री सतीश काशीनाथ मराठे, श्रीमती रेवती अय्यर, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री आनंद गोपाल महिंद्रा, श्री वेणु श्रीनिवासन तथा श्री पंकज रमणभाई पटेल - बैठक में शामिल हुए।

## II. विनियमन

### विनिर्दिष्ट गैर-वित्तीय आस्तियों (एसएनएफ़ए) पर विवेकपूर्ण मानदंड संबंधी निदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 मई 2026 को विनिर्दिष्ट गैर-वित्तीय आस्तियों पर विवेकपूर्ण मानदंड निदेश' का मसौदा जारी किया था। इसका उद्देश्य उन विनिर्दिष्ट गैर-वित्तीय आस्तियों (एसएनएफए) के विवेकपूर्ण निष्पादन के संबंध में स्पष्टता प्रदान करना है, जो विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा उन असाधारण मामलों में अर्जित की गई हैं जहाँ एक्सपोजर गैर-निष्पादित हो जाते हैं और विधिक या संविदात्मक उपचारों का आश्रय लिया जाता है। उक्त निदेशों के मसौदे में यह निर्धारित किया गया है कि केवल अनर्जक एक्सपोजर, अन्य वसूली विकल्पों के अव्यावहारिक होने की स्थिति में ही, एसएनएफए के अधिग्रहण के माध्यम से समाप्त किए जा सकते हैं। उक्त समापन पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किया जा सकता है। आंशिक समापन की स्थिति में शेष-एक्सपोजर को पुनर्संरचित ऋण माना जाएगा जो कि यथालागू विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के अधीन होगा। एसएनएफए को समापन एक्स्पोज़र के निवल बही मूल्य(एनबीवी) अथवा आस्ति के आपात बिक्री मूल्य में से कम पर और इसके बाद की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, अंतिम उपलब्ध आपात बिक्री मूल्य अथवा संशोधित एनबीवी (यदि एक्स्पोज़र बना रहता तो तब के कल्पित प्रावधानों को छोड़कर) में से कम पर दर्ज किया जाना है। ऐसी आस्तियों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम सात वर्ष की धारण-अवधि निर्धारित की गई है और, नैतिक खतरे को कम करने के उद्देश्य से आरई को, अपने तुलन-पत्र में एसएनएफए के भंडारण का प्रकटीकरण करने की अपेक्षा के साथ, एसएनएफए को उधारकर्ता अथवा संबंधित पक्षों को वापस बेचने से प्रतिबंधित किया गया है। । अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

### आरबीआई ने 'बैंकों के जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की गणना हेतु सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी में त्रैमासिक लाभों के समावेशन से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा' संबंधी संशोधन निदेश जारी किए

रिज़र्व बैंक ने 8 अप्रैल 2026 को 'बैंकों के जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की गणना हेतु सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी में त्रैमासिक लाभों के समावेशन से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा' पर तीन संशोधन निदेशों के मसौदे जारी किए थे, जिन पर उसने हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी थी। वर्तमान में, वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लाभों को सीआरएआर गणना के लिए तिमाही आधार पर मान सकते हैं, बशर्ते पिछले वित्तीय वर्ष की चार तिमाहियों में से किसी भी तिमाही के अंत में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए किए गए वृद्धिशील प्रावधानों में, चार तिमाहियों के औसत से 25 प्रतिशत से अधिक विचलन न हो। निदेशों के मसौदे का उद्देश्य एनपीए के लिए वृद्धिशील प्रावधानों की पात्रता संबंधी शर्त को हटाना था। मसौदों पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जाँच की गई है और संशोधन निदेशों को अंतिम रूप देते समय उस पर विचार किया गया है। मसौदों पर प्राप्त प्रतिक्रिया से संबंधित एक विवरण अनुबंध में दिया गया है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 मई 2026 को 'बैंकों के जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की गणना हेतु सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी में त्रैमासिक लाभों के समावेशन से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा' संबंधी निम्नलिखित तीन संशोधन निदेश जारी किए हैं: (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) पांचवां संशोधन निदेश, 2026, (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) चौथा संशोधन निदेश, 2026 और (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक – पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

### प्रतिचक्रीय पूंजी बफर की आवश्यकता की समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 मई 2026 को बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में निर्धारित प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) संबंधी ढांचे के अनुसार, यह सूचित किया गया था कि सीसीवाईबी को आवश्यकतानुसार सक्रिय किया जाएगा, और इस निर्णय की घोषणा सामान्यतः पहले से ही कर दी जाएगी। इस ढांचे में मुख्य संकेतक के रूप में जीडीपी की तुलना में ऋण के अंतर की परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग अन्य पूरक संकेतकों के साथ संयोजन में किया जा सकता है। सीसीवाईबी संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि इस समय सीसीवाईबी को सक्रिय करना आवश्यक नहीं है।

### भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि' संबंधी संशोधन निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न बैंक श्रेणियों के लिए निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफ़आर) संबंधी मानदंडों की समीक्षा का प्रस्ताव करते हुए, संशोधन निदेशों का मसौदा जारी किया था और हितधारकों से इस पर प्रतिक्रिया मांगी थी। संशोधन निदेशों के मसौदे में निम्नलिखित प्रस्तावित है (i) उन बैंक श्रेणियों के लिए आईएफ़आर की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव है, जो बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार बनाए रखती हैं और निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यन तथा परिचालन संबंधी संशोधित मानदंडों का पालन करती हैं; (ii) यह कि शेष विनियमित संस्था की श्रेणियां आईएफ़आर की आवश्यकता का पालन निरंतर आधार के बजाय तुलन पत्रों की तारीखों पर करेंगी; और (iii) विनियमित संस्थाओं की विभिन्न श्रेणियों में आईएफ़आर से संबंधित कतिपय अनुदेशों में एकरूपता लाने का प्रस्ताव है, जिससे मौजूदा विसंगतियां समाप्त होंगी और विनियामकीय स्पष्टता बढ़ेगी।

उपर्युक्त मसौदा संशोधन निदेशों पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई, और इसके परिणामस्वरूप किए गए संशोधनों को संशोधन निदेशों को अंतिम रूप देते समय यथोचित रूप से शामिल कर लिया गया है। संशोधन निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया से संबंधित एक विवरण अनुबंध में दिया गया है। इसके बाद , दिनांक 18 मई 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने संशोधन निदेश जारी किए। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## III. भारतीय रिज़र्व बैंक और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने आपसी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और सुश्री क्रिस्टीन लेगार्ड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) की प्रेसिडेंट ने आज केंद्रीय बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह हस्ताक्षर बासेल में अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की बैठकों के दौरान किए गए।

यह एमओयू, जो 2015 के पिछले एमओयू को अद्यतन बनाता है, केंद्रीय बैंकिंग क्षेत्र में आपसी हित के मामलों में दोनों संस्थानों के बीच सूचनाओं के नियमित आदान-प्रदान, नीतिगत संवाद और तकनीकी सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

### आरबीआई ने "भारतीय रिज़र्व बैंक (पूंजी पर्याप्तता) संशोधन निदेश, 2026" के मसौदे पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की

बासेल स्तंभ(पिलर) 3 संबंधी प्रकटीकरण आवश्यकताओं के साथ अधिक संगति सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2926 को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) सातवाँ संशोधन निदेश, 2026 और भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) पाँचवाँ संशोधन निदेश, 2026 के मसौदे जारी किए। निदेशों के उक्त मसौदों पर टिप्पणियाँ प्रेषित करने की अंतिम तिथि 2 जून 2026 थी। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

### भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं के ऋण वसूली आचरण तथा वसूली एजेंटो की नियुक्ति' संबंधी संशोधन निदेशों का संशोधित मसौदा जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 मई 2026 को 'विनियमित संस्थाओं के ऋण वसूली आचरण तथा वसूली एजेंटों की नियुक्ति' संबंधी संशोधन निदेशों का संशोधित मसौदा जारी किया। इस मसौदे में, फरवरी 2026 में जारी किए गए प्रारंभिक मसौदे पर हितधारकों की प्रतिक्रिया को शामिल किया गया, जिसमें प्रौद्योगिकी आधारित वसूली तंत्र संबंधी प्रावधान शामिल थे, और विनियमित संस्थाओं तथा जन-सामान्य से 31 मई 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गईं थी। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

### आरबीआई ने सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए विराम (कूलिंग-ऑफ) अवधि पर अंतिम संशोधन निदेश जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 8 जनवरी 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – अभिशासन) संशोधन निदेश, 2026 और भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - अभिशासन) संशोधन निदेश, 2026 का मसौदा जारी किया था। संशोधन निदेशों के मसौदे में यूसीबी और आरसीबी के निदेशकों के लिए, यूसीबी/आरसीबी के बोर्ड में दस वर्षों का निरंतर कार्यकाल पूरा कर लेने के उपरांत, एक विराम अवधि शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था, ताकि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 10ए(2ए)(i) में निहित सांविधिक प्रावधान का अक्षरशः कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 मई 2026 निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी किए हैं:

I. भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - अभिशासन) संशोधन निदेश, 2026
II. भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक – अभिशासन) संशोधन निदेश, 2026

## IV. फिनटेक

### क्वांटम सिक्योर एंड अडैप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम (क्यू-एसएएएफ़ई) -विशेषज्ञ समिति का गठन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में क्वांटम प्रौद्योगिकी के लाभों, जोखिमों और चुनौतियों की जांच करने के लिए 25 मई 2026 को क्वांटम सिक्योर एंड अडैप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम (क्यू- एसएएएफ़ई) के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जोकि विशेष रूप से मौजूदा क्रिप्टोग्राफिक मानकों को कमजोर करने की क्षमता के साथ, क्षेत्र की क्रिप्टोग्राफिक इन्वेंट्री का मूल्यांकन करने, क्रिप्टो-एजिलिटी का आकलन करने, विभिन्न देशों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण करने, क्वांटम-सेफ क्रिप्टोग्राफ़ी को अपनाने के लिए उद्योग की तैयारियों का मूल्यांकन करने और भारतीय वित्तीय प्रणाली को क्वांटम-सुरक्षित करने के लिए एक रोडमैप की सिफारिश करने के लिए गठित की गई है, जोकि अपनी पहली बैठक की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उन्हें, फिनटेक विभाग, आरबीआई द्वारा सचिवीय सहायत प्राप्त होगी और इसमें आईआईटी मद्रास, डीएसटी, एसबीआई, एनपीसीआई, एमईआईटीवाई, डीएससीआई, एक्स-आईबीएम और आरबीआई के सदस्य शामिल होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## V. प्रकाशन

### भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली रिपोर्ट, दिसंबर 2025 प्रकाशित की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 मई 2026 को अर्ध-वार्षिक भुगतान प्रणाली रिपोर्ट, दिसंबर 2025 प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में, कैलेंडर वर्ष 2025 की दूसरी छमाही तक पिछले पाँच कैलेंडर वर्षों के दौरान भारत में विभिन्न भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके किए गए भुगतान लेनदेन के रुझानों का विश्लेषण करने के अलावा, घरेलू भुगतान पारितंत्र में हाल के प्रमुख विनियामक गतिविधियों को शामिल किया गया है। प्रतिपक्ष ऋण जोखिम को कम करके भारत की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में केंद्रीय प्रतिपक्षों (सीसीपी) की भूमिका की जांच की गई है। रिपोर्ट में सीमा- पार भुगतान से संबंधित मामलों, जी20 रोडमैप के भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसके दक्षता में सुधार और सामान्य तौर पर तकनीकी नवाचारों, जो वैश्विक भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से आकार दे रहे हैं, के संबंध में किए गए प्रयासों पर भी चर्चा की गई है।

दिसंबर 2025 के लिए अर्ध-वार्षिक भुगतान प्रणाली रिपोर्ट भारत में भुगतान प्रणालियों के उभरते परिदृश्य का एक व्यापक

और दूरदर्शी अवलोकन प्रस्तुत करती है। वर्षों से, भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि देखी है - जो व्यापक पहुंच, बढ़ते उपयोगकर्ता तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत बुनियादी ढांचे के निरंतर सुदृढ़ीकरण से प्रेरित है। फिनटेक में नवाचार, विनियामक समर्थन और सार्वजनिक-निजी सहयोग ने कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन को तेज किया है, जिससे भारत डिजिटल वित्तीय समावेशन में एक वैश्विक प्रतिनिधि के रूप में स्थापित हुआ है।

भुगतान प्रणाली रिपोर्ट नीति निर्माताओं, उद्योग हितधारकों और शोधकर्ताओं के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जो भुगतान प्रणाली के आंकड़ों, विनियामक गतिविधियों और भारत के भुगतान पारितंत्र को आकार देने वाली उभरती हुई तकनीकी प्रगति का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करती हैं। भुगतान विज़न 2028 के कार्यनीतिक ढांचे के साथ संरेखित, भारतीय रिज़र्व बैंक एक कुशल, सुदृढ़ और समावेशी भुगतान अवसंरचना को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है जो आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देता है और राष्ट्र की डिजिटल परिवर्तन यात्रा को गति देता है।

रिपोर्ट में आरबीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), बैंकों और अन्य भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) द्वारा संचालित विभिन्न भुगतान प्रणालियों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह 2021 की पहली छमाही (एच1) से लेकर 2025 की दूसरी छमाही (एच2) तक बड़े मूल्य और खुदरा भुगतान प्रणालियों दोनों की वृद्धि का मूल्यांकन करता है।

रिपोर्ट को निम्नलिखित रूप से व्यवस्थित किया गया है। अध्याय 2 भारत की भुगतान प्रणालियों की संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत करता है और प्रमुख भुगतान प्रणाली के आँकड़े प्रस्तुत करता है। अध्याय 3 में दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली छमाही के दौरान भुगतान पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण विनियामक गतिविधियों और प्रमुख नवाचारों और नीतिगत परिवर्तनों को शामिल किया गया है। अध्याय 4 भारत की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में वित्तीय बाजार अवसंरचना के सिद्धांतों (पीएफएमआई) के तहत विनियमित केंद्रीय प्रतिपक्षों (सीसीपी) की भूमिका की जांच करता है। ये सीसीपी नवाचार, बहुपक्षीय नेटिंग और सुदृढ़ चूक प्रबंधन ढांचे के माध्यम से प्रतिपक्ष ऋण जोखिम को कम करते हैं। अध्याय 5 में सीमा पार भुगतान में देखे गए घर्षण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जी20 रोडमैप के भाग के रूप में, उसमें दक्षता में सुधार और सामान्य तौर पर तकनीकी नवाचारों, जो वैश्विक भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से आकार दे रहे हैं, के लिए किए गए प्रयासों की रूपरेखा दी गई है।

## आरबीआई बुलेटिन – मई 2026

रिज़र्व बैंक ने 22 मई 2026 को अपने मासिक बुलेटिन का मई 2026 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में पाँच भाषण, एक आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

उक्त आलेख अर्थव्यवस्था की स्थिति संबंधी है।

**अर्थव्यवस्था की स्थिति**

पश्चिम एशिया में अनिश्चितताओं का साया वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बना रहा। अप्रैल में घरेलू आर्थिक गतिविधियों में आघात-सहनीयता देखने को मिली, जिसमें औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के कई भागों में मज़बूती बनी रही। कृषि क्षेत्र में, मॉनसून से पहले सामान्य से अधिक बारिश और जलाशयों में पानी के पर्याप्त स्तर के कारण, गर्मियों में काफी अच्छी बुवाई हुई। अप्रैल में सीपीआई मुद्रास्फीति बढ़कर 3.5 प्रतिशत हो गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य मुद्रास्फीति थी, जबकि मूल मुद्रास्फीति स्थिर बनी रही। मार्च में, निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगातार दूसरे महीने भी सकारात्मक बना रहा। अप्रैल और मई में विदेशी संविभाग निवेशक, निवल विक्रेता बने रहे, हालाँकि बहिर्वाह की गति कुछ धीमी हुई। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2025-26 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जो रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की एक सांविधिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में अप्रैल 2025 - मार्च 2026 की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के कामकाज और गतिविधियों को शामिल किया गया है।

# VI. जारी आंकड़े

मई 2026 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं:

| क्रम सं | शीर्षक |
|---|---|
| 1 | अप्रैल 2026 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश |
| 2 | दिनांक 15 मई 2026 तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण |
| 3 | अप्रैल 2026 माह के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े |
| 4 | अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – मई 2026 |
| 5 | अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण पर वार्षिक मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर)-1 – मार्च 2026 |
| 6 | अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि संबंधी वार्षिक आधारभूत सांख्यिकी विवरणी (बीएसआर)-2 – मार्च 2026 |

**श्री ब्रिज राज** द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।